अध्याय 6

अन्य मुद्दे

अध्याय 6: अन्य मुद्दे

योजना, परिचालन, वित्त और जनशक्ति में अनियमितताओं, कमियों और गैर-अनुपालनों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में निक्षेप कार्य पूरा करने में देरी, कोड़ल प्रावधानों का अनुपालन न करना, अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने में असमर्थता आदि भी पाए गए जो निगम द्वारा अपने कार्यों को निपटाने में अप्रभावी दृष्टिकोण अपनाने के संकेतक हैं।

6.1 सब्सिडी की हानि और सौर विद्युत ऊर्जा इकाइयों का खराब निष्पादन

निगम ने 2015 में दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) के माध्यम से ₹ 3.18 करोड़ की कुल लागत पर अपने तीन डिपो में सौर ऊर्जा इकाइयां स्थापित कीं। इस परियोजना में 8 अप्रैल 2015 से पांच वर्ष का व्यापक वार्षिक अनुरक्षण (सीएएम) भी शामिल था, यानी वह तारीख जब से इन इकाइयों ने काम करना शुरू किया था। सीएएम अवधि पूरी होने के बाद, इन सौर ऊर्जा संयंत्रों के अनुरक्षण के लिए निगम द्वारा कोई एजेंसी नियुक्त नहीं की गई थी।

भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने इन सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए सब्सिडी प्रदान की और सब्सिडी की पहली किस्त ₹ 12.50 लाख का भुगतान किया। ₹ 29.14 लाख की शेष सब्सिडी का भुगतान नहीं किया गया, क्योंकि एमएनआरई ने निरीक्षण (19 फरवरी 2020) में इन इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण में विभिन्न कमियां पाईं, जिससे इकाइयों की कार्यक्षमता प्रभावित हुई। तथापि, निगम ने शेष सब्सिडी का दावा करने के लिए एमएनआरई द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। इसने उस एजेंसी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की, जो उन संयंत्रों के अनुरक्षण के लिए ज़िम्मेदार थी क्योंकि संविदा में एजेंसी को उसके खराब निष्पादन के लिए दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं था।

इसके अतिरिक्त, एमएनआरई के आकलन के अनुसार, इन संयत्रों से प्रति किलोवाट स्थापित क्षमता से प्रति दिन औसतन तीन यूनिट बिजली के उत्पादन की आशा थी। प्रचलित शुल्क दर पर, प्रत्याशित चुकौती अवधि परिचालन शुरू होने के बाद 5 से 6 वर्ष थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन संयंत्रों में अप्रैल 2015 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान 26.85 लाख यूनिट अपेक्षित

उत्पादन के प्रति केवल 12.50 लाख यूनिट का उत्पादन ही किया जा सका, जो प्रत्याशित विद्युत उत्पादन के 50 *प्रतिशत* से भी कम था। इस अवधि (लगभग सात वर्ष) के दौरान प्रचलित शुल्क दर के अनुसार संयत्रों से वसूल की गई लागत ₹ 1.36 करोड़ थी जो परियोजना की पूंजीगत लागत ₹ 3.18 करोड़ का केवल 42.77 *प्रतिशत* थी। इस प्रकार संयत्रों का उचित अनुरक्षण सुनिश्चित करने में निगम की विफलता ने व्यय के एक बड़े हिस्से का निष्फल बना दिया।

सिफारिश 6.1: निगम को उर्जा का अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सौर ऊर्जा इकाइयों के अनुरक्षण में आने वाली कमियों को दूर करना चाहिए।

6.2 स्टाफ क्वार्टरों पर अनधिकृत अधिभोग से निगम को ₹ 221.28 करोड़ की हानि

1978 में, निगम ने 5,144 आवासीय क्वार्टरों में से 4,844 के स्वामित्व- अधिकार उन कर्मचारियों को हस्तांतरित कर दिए जो इन क्वार्टरों में रह रहे थे। तथापि, उस समय हरि नगर और जीटी रोड कॉलोनियों में 150-150 क्वार्टरों का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया गया था। 1979 में, निगम ने इन मकानों को इनमें रहने वालों को बेचने का निर्णय लिया, परंतु 1981 में इस निर्णय को रद्द कर दिया। तब से नवंबर 2006 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निगम के पक्ष में स्वामित्व-अधिकार का निर्णय लेने तक मामला मुकदमेबाजी में था। तथापि, निगम इन क्वार्टरों को खाली नहीं करा सका।

यद्यपि निगम बोर्ड ने इन कॉलोनियों को अधिभोगियों से तुरंत खाली कराने का निर्देश दिया (2016) था परंतु निगम ने केवल नवंबर/दिसंबर 2020 में बेदखली की प्रक्रिया शुरू की थी। तब भी, पुलिस बल की अनुपलब्धता के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। तब से, निगम द्वारा कर्मचारी क्वार्टरों के अनधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

2023 तक 287 स्टाफ क्वार्टर लगातार अनधिकृत कब्ज़े में रहे और 31 मार्च 2022 तक ₹ 221.28[1] करोड़ की राशि अधिभोगियों से किराया और जल शुल्क के रूप में वसूली योग्य थी।

[1] हरि नगर कॉलोनी और जीटी रोड कॉलोनी के लिए क्रमशः ₹ 107.34 करोड़ और ₹ 112.94 करोड़ का किराया तथा ₹ 48.14 लाख और ₹ 52 लाख का जल शुल्क 31.03.2022 तक जिसका कुल योग ₹ 221.28 करोड़ था।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

6.3 घुमन हेड़ा बस डिपो और मुंडेला कलां बस डिपो के निर्माण कार्यों के पूरा होने में देरी और निष्पादन में विसंगतियां

निगम ने 08.05.2018 और 07.05.2018 को क्रमशः घुमन हेड़ा और मुंडेला कलां में निक्षेप कार्यों के रूप में लो.नि.वि. द्वारा दो बस डिपो के निर्माण के लिए अलग-अलग कार्य सौंपे और इसे छह महीने के भीतर पूरा किया जाना था। तथापि, दोनों कार्य क्रमशः नवंबर 2021 और जनवरी 2022 को पूरे किए गए। इन परियोजनाओं पर लो.नि.वि. द्वारा किया गया व्यय क्रमशः ₹ 28.93 करोड़ (घुमन हेड़ा) और ₹ 15.38 करोड़ (मुंडेला कलां) था। निगम में उपलब्ध अभिलेखों की जांच से पता चला कि घुमन हेड़ा के मामले में ₹ 8.10 करोड़ और मुंडेला कलां के मामले में ₹ 5.50 करोड़ की लागत के अतिरिक्त कार्य को निगम की पूर्व मंजूरी के बिना लो.नि.वि. द्वारा कराया गया था जो कि कें.लो.नि.वि. की नियमावली के खंड 24.2.3(1) के अनुसार अनियमित था जिसमें प्रावधान है कि अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंज़ूरी आवश्यक है। निगम ने अतिरिक्त कार्यों की तर्कसंगतता और विवरण को सुनिश्चित किए बिना 7 अक्टूबर 2021 को दोनों कार्यों के लिए कार्योत्तर मंजूरी दे दी। निगम के वित्त स्कंध ने पाया कि निगम के सिविल इंजीनियरिंग विभाग को ऐसे मामलों में पूर्व अनुमोदन सुनिश्चित करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, यद्यपि दोनों परियोजनाओं के पूरा होने में तीन वर्ष या उससे अधिक की देरी हुई, परंतु देरी के लिए लो.नि.वि. द्वारा संविदाकारों पर लगाया गया जुर्माना निगम के अभिलेखों से स्पष्ट नहीं था।

प्रबंधन ने कहा (मई 2023) कि लो.नि.वि. ने काम में देरी के बावजूद संविदाकार पर कोई जुर्माना नहीं लगाया और अतिरिक्त कार्य प्रशासनिक मंज़ूरी की सीमा के तहत था। तथापि, उत्तर में अतिरिक्त कार्यों को शामिल करने और काम में देरी के कारणों का उल्लेख नहीं था, जिससे अंततः संविदा मूल्य में वृद्धि हुई और समय पर डिपो के संचालन में विलंब हुआ।

6.4 ₹ 17.84 करोड़ मूल्य के ऑक्सीजन टैंकर बेकार पड़े रहे

रा.रा.क्षे.दि.स. ने दिल्ली को कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए तैयार करने हेतु 350 मैट्रिक टन क्षमता के 25 ऑक्सीजन टैंकर खरीदने का निर्णय लिया (जून 2021) और इसके लिए ₹ 31 करोड़ के बजटीय प्रावधान किया गया। आवश्यकता को बाद में 12 टैंकरों तक संशोधित किया गया। इसके अतिरिक्त, यह निर्देश दिया गया कि निगम इन टैंकरों को सामान्य रूप से आवश्यकता के अनुसार अन्य राज्यों या संस्थानों को पट्टे पर देकर एक इष्टतम उपयोग मॉडल पर विचार कर सकता है।

उचित प्रक्रिया के अनुपालन के पश्चात दिसंबर 2021 को बोलीकर्ता को (तकनीकी रूप से योग्य एकल निविदा) ₹ 17.84 करोड़ का आपूर्ति आदेश दिया गया। इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2022 से जनवरी 2023 तक निगम को 12 ऑक्सीजन टैंकर वितरित किए गए थे। तथापि, पट्टे पर देने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के स्पष्ट निर्देश के बावजूद इन सभी टैंकरों का उपयोग नहीं किया गया था। वे बेकार पड़े रहे, खुले में पार्क किए गए और प्राकृतिक तत्वों के संपर्क में रहे जिससे उनके खराब होने का खतरा बना रहा। इस प्रकार, निगम किसी भी टैंकर को व्यावसायिक रूप से पट्टे पर देकर उसका उपयोग करने में विफल रहा।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मई 2023) और कहा कि उन्होंने मार्च 2023 में पट्टे पर देने की प्रक्रिया शुरू की थी, तथापि, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।